उत्तरांचल शासन
सूचना अनुभाग
संख्या : 266 / XXII / 2005–9(31)
सचिवालय, देहरादून
दिनांक : 13 अक्टूबर, 2005

अधिसूचना।

राज्यपाल, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (अधिनियम संख्या 22 / 2005) की धारा 27 की उपधारा –(2) के खण्ड ख तथा ग के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुये निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात :

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ :

1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम सूचना का अधिकार (फीस एवं लागत का विनियमन) नियम,2005 है।
2. ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
3. परिभाषायें :– इन नियमों में जब तक की संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों
   (क) "अधिनियम" से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अभिप्रेत है ।
   (ख) धारा से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है,
   (ग) उन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त है और परिभाषित नहीं है किन्तु सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में परिभाषित है, वहीं अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में हैं

4. अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सूचना मांगे जाने हेतु आवेदन पत्र के साथ लोक प्राधिकारी के वित्त / लेखाअधिकारी के नाम देय रू. दस की फीस उचित रसीद के प्रति नकद या डिमान्ड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक के माध्यम से भुगतान किया जायेगा।

5. धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन सूचना दिये जाने हेतु लोक प्राधिकारी के वित्त / लेखा अधिकारी के नाम देय निम्न दरों के अनुरूप फीस उचित रसीद के प्रति नकद या डिमान्ड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक के माध्यम से भुगतान किया जाना होगा।
   (क) ए–3 या ए–4 आकार के पृष्ठ (छाया प्राति या तैयार सूचना) हेतु रू. दो प्रति पृष्ठ और इससे बड़े आकार के पृष्ठ हेतु वास्तविक लागतः
   (ख) अभिलेखों के निरीक्षण हेतु प्रथम घण्टा हेतु कोई फीस देय नहीं होगी, उसके उपरान्त प्रत्येक पन्द्रह मिन्ट (अथवा उसके भाग) हेतु रू. पांच की फीस का भुगतनान किया जाना होगा।
   (ग) प्रदेशों एवं नमूनों की वास्तविक लागत का भुगतान किया जाना होगा।

6. अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (5) के अधीन सूचना दिये जाने हेतु लोक प्राधिकारी के वित्त लेखाधिकारी के नाम देय निम्न दरों के अनुरूप फीस उचित रसीद के प्रति नकद या डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक के माध्य मसे भुगतान किया जाना होगा।
   (क) डिस्केट अथवा फ्लॉपी पर सूचना दिये जाने हेतु रू. पचास प्रति फ्लॉपी / डिस्केट और
   (ख) किसी मुद्रित प्रकाश क दशा में उसका निर्धारित मूल्य या ऐसे प्रकाशन से उद्धरणों की फोटो प्रति के प्रति पृष्ठ के लिये दो रूपये

(डी.के.कोटिया)
सचिव

In pursuance of provisions of clause (3) of article 348 fo constiution of India, the Governor is please to order the publication of the follwing English translation of notification no 266/XXII@2005-9(31) 2005, dated 13th October,2005 for gerneral information .

Government of Uttaranchal
Department of Information & Public Relation
Secretariat , Dehradun
Dated : 13th October,2005

Notification

In exercise of the powers conferred by calsues(b) and (c) of subesection (2) of section 27 of the Right to Informai0on Act, 2005 (22 of 2005), the Governor hereby makes the follwoing rules, namely :-

1- Short title and commencement
   (a) These Rules may be called the Right to Information (Regulation of Fee and Cost) Rules, 2005.
   (b) They shall come into force on the date of their publication in the official gazette.

2- Definations:

In these rules, unless the context otherwise requires:-
   (a) "Act" means the Right to Information Act, 2005,
   (b) "section" means the section of the Act,
   (c) Words and experssions used herein but no defined in the Right to Information Act, 2005 shall have the meanings assigned them in that Act.

3- A request for obtaining information under sub section -(1) of section -6 shall be accompained by an application fee of rupees ten by way of cash against proper receipt or by demand draft or bankers cheque payable to the Finance/Accounts Officer of the public authority.

4- For providing the Information under sub section -(1) of section -7, the fee shall be charged by way of cash against proper receipt or by demand draft or bankers cheque payable to the Finance/Accounts Officer of the public authority at the follwing rates:
(a) Ruppes two for each page (A-3 of A-4 size paper) created or copied actual charge or cost price of a copy in larger size paper;
(b) For inspection of records, no fee for the first hour and a fee of rupees five for each fifteen minutes (or fraction thereof) thereafter, and
(c) Actural cost or price for samples or models.

5- For providng information under sub section (5) of section-7, the fee shall be chargerd by way of cash against proper receipt or by demand draft of bankers cheque payable to the Finance/Accounts officer of the public authority at the following rates:

(a) for information provided in diskette or floppy, rupees fifty per diskette or flopp, and
(b) for information provided in printed form at the price fixed for the publication or rupees two per page of photocopy for extracts from the publication.

(D. K. Kotia)
Secretary

पृष्ठांकन संख्या 266(1)/XXII/2005, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तरांचल
2. सचिव, विधान सभा, विधान भवन, देहरादून
3. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी, उत्तरांचल शासन
4. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड, देहरादून
5. रजिस्ट्रार, मा. उच्च न्यायालय, नैनीताल
6. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन
7. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन
8. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराचंल शासन
9. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराचंल शासन
10. आयुक्त, गढ़वाल/कुमांऊ मण्डल, उत्तरांचल
11. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल
12. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरांचल
13. सचिवालय के समस्त अनुभाग
14. निदेशक, एन.आई.सी., उत्तरांचल
15. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणाल्य, रूड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को राजकीय गजट असाधारण के विधायी परिशिष्ट, भाग–4, खण्ड–ख में दिनांक 13 सितम्बर 2005 में प्रकाशित कर 200 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें.
16. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(संतोष बडोनी)
अनुसचिव